


2/18/2019

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अपेक्षित जमाबंदी एवं अनिलेख सं. 133 /2019-19


बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं जांचकर्ता से संबंधित।

संबंधित।

दिनांक	आदेश का संदर्भ	उपयुक्त
13/01/19	<p>झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रा. दिनांक-13.05.2018</p> <p>संबंधित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, मू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-2210 म. नि. ति-119/85/2308/रा. दिनांक 03.09.1988 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा. दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा <u>खैरा</u> मौजा नं- <u>06</u> खाता नं <u>196, 83</u></p> <p>प्लॉट नं <u>1365, 1367</u> रकबा <u>2.33 कठ</u> की भूमि जो गैरमजसूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पत्ती-11 के जिल्द संख्या <u>15</u> के पृष्ठ संख्या <u>3220</u> पर जमाबंदी रूयत <u>श्री बिनोय कुमार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपयुक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपयुक्त जमाबंदी किना सख्त प्राधिकार के आदेश के/अपेक्षित बंदोबस्ती के आधार पर/अपेक्षित कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अपेक्षित लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य की शक्ति कायम करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अपेक्षित प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1960 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अनिलेख दिनांक <u>24/01/19</u> को रखें।</p>	<p>अनिलेख</p> <p></p> <p>15.1.19</p> <p>अंचल अधिकारी,</p> <p>धनबाद।</p>


27/3/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्रप्त है।
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।


10/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
20/6/20 को रखे।



अचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा
बोधा गौजा न० 86 खाता 196, 83 प्लॉट
न० 1365, 1362 रकबा 3.33 वर्ग मी. भूमि से संवधित है। आवेदित
भूमि मत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रजत
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस न० 2522-(11) 03-04 के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।